

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

..... कृष्ण कुमार बनाम दीपचन्द आदि

दावा बाबत :- 88RTAct

मुकदमा नम्बर :- 258/2021

निर्णय दिनांक :- 27-10-21

वादी की ओर से वकील पुनम चन्द वर्मा की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3, 4 की ओर से वकील अक्षय कुमार वर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोहि भोजन रामधरा के खाता सं० 71/67 के खसरा सं० 39/1 की न.उप० है, खसरा सं० 106/1 की न.उप० है कुल 8.056 है वारानी खेतदारी कृषि मूमि प्रतिवादी सं० के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में पंज है म.स. प्रतिवादी सं० दीपचन्द का नाम कलभजन मिश्रा जाजर वादी को खेतदार आशुतंकर चौधरी मिश्रा जाता है - ये कि प्रतिवादी सं० 1 ला 6 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर चुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किने गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को ये पंजीयन मुक्त एवं हस्ता उभरी अदा करने व यदि कृषि मूमि के हक के रदन हो तो रदन मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड के अमूल परामर्श मिश्रा जाजर/राजीव/गामा का डिक्री का भाग पहा जाव।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
 (शिविर प्रशासक)
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
 भादरा जिला हनुमानगढ़
 3162121